

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सिरसा।

हिसार बाईपास रोड, सिरसा टेलिफोन न० 01666-243307

Email:- forest_sirsa@yahoo.com & dfo.sir-hry@nic.in

क्रमांक: 4462

दिनांक: 16/10-2023

सेवा में

Sh. Baljit Singh S/o Sh. Swaran Singh,
R/o H.No. 465, Karol Bagh, PO- Chugitti,
Jalandhar-I, Punjab-144009
M/s Avaada Green HN Project Pvt. Ltd.

विषय: Diversion of 0.096 ha. of forest land for construction of 132 KV D/C Line
Avaada Green HN Project Private Limited, Poharka to 132 S/stn, Mithi
Sureran (Ellenabad), under Forest Division & Distt. Sirsa.
(Proposal No.- FP/HR/Trans/148304/2021)

संदर्भ: भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की फाईल संख्या
9-HRB128/2022-CHA दिनांक 13.10.2023

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सन्दर्भांकित पत्र द्वारा विषयांकित केस में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अतः सी0ए0 स्कीम अनुसार आप द्वारा जमा करवाई जाने वाली राशि का डिमांड नोट निम्नप्रकार से जारी करते हुए आपको लिखा जाता है कि आप यह राशि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की website www.parivesh.nic.in के माध्यम से अपने केस में चालान जनरेट करके उसमें अंकित लेखा में जमा करवाएं।

Sr. No.	Particular	Amount
1	Net Present Value (NPV)	117945.00
2	Compensatory Afforestation (1-10 Year Maintenance Charges with Barbed Wire Fencing Charges)	310748.00
3	Additional Compensatory Afforestation	52827.00
4	Penal Compensatory Afforestation	0.00
5	Catchment Area treatment (Soil & Moisture Conservation Charges) CA+ACA	52912.00
6	Supervisory/Overhead/Miscellaneous Charges	17638.00
7	Penalty for Violation	0.00
8	Additional Charges for Protected Area	0.00
9	Felling Charges	43680.00
10	Demarcation Charges	10000.00
	G.Total	605750.00

उक्त राशि ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा करवाकर चालान की प्रति इस कार्यालय में भेजें, ताकि पालना रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जा सके। इसके अतिरिक्त जिलाधीश सिरसा से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की अनुपालना में प्रमाण पत्र प्राप्त करके व नियमों की अण्डरटेकिंग की प्रति शीघ्रातिशीघ्र मण्डल कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।

वन मण्डल अधिकारी,
सिरसा।

पृ० क्रमांक 4463

दिनांक 16/10-2023

इसकी एक प्रति वन राजिक अधिकारी, रानियां को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त साईट का आप स्वयं मौका निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी प्रकार की उल्लंघना होने की स्थिति में एफ0सी0ए0 1980 के तहत कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित करें।

वन मण्डल अधिकारी,
सिरसा।